

प्रेस नोट

थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा 50 पेटी (कुल 450 लीटर) ब्लू लाइम ब्राण्ड अवैध शराब व 480 लीटर स्पिरिट (दोनों की अनुमानित कीमत 05 लाख रूपये) तथा शराब बनाने के उपकरण के साथ 06 अभियुक्त गौरव जायसवाल, प्रकाश सोनकर, श्यामजीत पटेल, सिकन्दर पटेल, बबलू पटेल व विनोद पटेल गिरफ्तार।

दिनांक 30.01.2021 को थानाध्यक्ष बड़ागांव मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी की साईपुर चौराहा के पास से एक स्कार्पियो गाड़ी में अवैध शराब भर कर ले जायी जा रही है, यदि जल्दी किया जा तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर आबकारी निरीक्षक श्री अभय कुमार सिंह को टीम सहित जरिये दूरभाष बुलाया गया। पुलिस/आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर को साथ लेकर बताये गये स्थान पर पहुंचकर मुखबिर की निशानदेही पर साईपुर चौराहा पर एक स्कार्पियो UP 70 CW 4041 जिसमें दो व्यक्ति सवार थे, को रोका गया। उक्त वाहन की तलाशी से उसमें रखी 50 पेटी ब्लू लाइम ब्राण्ड अवैध शराब बरामद हुई। पकड़े गये व्यक्तियों से उनका नाम व पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम गौरव जायसवाल उर्फ विक्की निवासी भटेवरा थाना चिल्ह जनपद-मिर्जापुर व दूसरे ने अपना नाम प्रकाश सोनकर पुत्र स्व0 राजेन्द्र सोनकर निवासी गड़गड़ी थाना चिल्ह जनपद-मिर्जापुर बताया।

***पूछताछ विवरण*-**

पकड़े गये व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो उन्होंने बताया कि ग्राम चंगवार में बन्द पड़े पॉलट्री फार्म में मेरे साथी अवैध शराब बनाते है। गौरव व प्रकाश की निशानदेही पर उक्त स्थान से 04 अन्य व्यक्ति श्यामजीत पटेल पुत्र स्व0 रामबली, सिकन्दर पटेल पुत्र श्यामजीत पटेल, बबलू पटेल पुत्र श्यामजीत पटेल, व विनोद पटेल पुत्र कन्हैया समस्त निवासीगण पुरारघुनाथपुर थाना फूलपुर जनपद-वाराणसी को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से शराब बनाने के उपकरण जिसमें काले रंग के 8 कंटेनर में तीव्र गंध वाली स्पिरिट कुल 480 लीटर (प्रत्येक कंटेनर मे लगभग 60 लीटर), 8000 खाली शीशी, 18 हजार ढक्कन जिस पर लार्ड डिस्टिलरी लि0 प्रिन्ट है, 16356 रैपर ब्लू लाइम ब्राण्ड, 6500

नकली क्यू.आर.कोड़, एक अदद एल्कोहलो मीटर, एक अदद पाउचिंग मशीन, एक अदद स्कार्पियो UP 70 CW 4041, बीस हजार पाच सौ रुपये नगद व भिन्न-2 कम्पनियो के सात अदद मोबाइल फोन बरामद किये गये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना बड़ागाँव में मु0अ0सं0 0041/2021 धारा-419,420,467,468,471 भा0द0वि0 व 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी अभियुक्तगण का विवरण –

1. गौरव जायसवाल उर्फ विककी उम्र 35 वर्ष निवासी भटेवरा थाना चिल्ह जनपद-मिर्जापुर
2. प्रकाश सोनकर पुत्र स्व0 राजेन्द्र सोनकर उम्र 30 वर्ष निवासी गड़गड़ी थाना चिल्ह जनपद-मिर्जापुर
3. श्यामजीत पटेल पुत्र स्व0 रामबली उम्र 52 वर्ष निवासी पुरारघुनाथपुर थाना फूलपुर जनपद-वाराणसी
4. सिकन्दर पटेल पुत्र श्यामजीत पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी पुरारघुनाथपुर थाना फूलपुर जनपद-वाराणसी
5. बबलू पटेल पुत्र श्यामजीत पटेल उम्र 20 वर्ष निवासी पुरारघुनाथपुर थाना फूलपुर जनपद-वाराणसी
6. विनोद पटेल पुत्र कन्हैया उम्र 18 वर्ष निवासी पुरारघुनाथपुर थाना फूलपुर जनपद-वाराणसी

बरामदगी का विवरण –

- 50 पेटी ब्लू लाइम ब्राण्ड अवैध शराब कुल 450 लीटर (200 मिली की 2250 शीशी)
- शराब बनाने के उपकरण जिसमें काले रंग के 8 कंटेनर में तीव्र गंध वाली स्प्रिट कुल 480 लीटर (प्रत्येक कंटेनर में लगभग 60 लीटर), 8000 खाली शीशी, 18 हजार ढक्कन जिस पर लार्ड डिस्टिलरी लि0 प्रिन्ट है, 16356 रैपर ब्लू लाइम ब्रान्ड, 6500 नकली क्यू.आर.कोड़, एक अदद एल्कोहलो मीटर, एक अदद पाउचिंग मशीन
- एक अदद स्कार्पियो UP 70 CW 4041
- बीस हजार पाच सौ रुपये नगद
- भिन्न-2 कम्पनियो के सात अदद मोबाइल फोन

पंजीकृत मुकदमें का विवरण

- मु0अ0सं0 0041/2021 धारा-419,420,467,468,471 भा0द0वि0 व 60/63 आबकारी अधिनियम थाना बड़ागाँव वाराणसी

पुलिस टीम का विवरण –

- थानाध्यक्ष श्री मुरलीधर, उ0नि0 अनिल कुमार, उ0नि0 सुबाष सिंह, उ0नि0 कुवर सिंह, हे0का0 चालक वीरेन्द्र प्रसाद, का0 पारसनाथ सिंह, का0 मोहित गुप्ता, का0 प्रवीण कुमार, का0 गुलाब यादव, का0 बृजेश कुमार, थाना बड़ागाँव जनपद वाराणसी व आबकारी निरीक्षक अभय कुमार सिंह मय टीम

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

थाना शिवपुर पुलिस द्वारा रंगदारी मांगने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले से संबंधित अभियुक्त अर्जुन देव हरिजन गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा बोर व 315 दो अदद जिन्दा कारतूस बोर 315 बरामद

आज दिनांक 31.01.2021 को थाना शिवपुर पुलिस देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त, चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान थाना क्षेत्र में मौजूद थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मुकेश यादव निवासी चुप्पेपुर को जिन अपराधियों ने रंगदारी मांगने एवं जान से मारने की धमकी दी थी (जिसके सम्बन्ध में थाना शिवपुर में मु0अ0सं0 0046/2021 धारा 386/387/504/506/120(बी) भादवि थाना शिवपुर वाराणसी पंजीकृत है), उस गैंग का एक बदमाश जिसका नाम अर्जुन देव हरिजन पुत्र जिऊत लाल हरिजन निवासी छित्तपुर हरिजन बस्ती थाना लंका वाराणसी है, इस समय किसी बड़ी घटना को कारित करने की फिराक में सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकान के समाने सेन्ट्रल जेल रोड़ चुप्पेपुर के पास खड़ा है जिसके पास नाजायज असलहा व कारतूस भी है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर थाना शिवपुर पुलिस द्वारा मुखबिर को साथ लेकर चुप्पेपुर सेन्ट्रल जेल रोड़ पहुंचकर, मुखबिर की निशानदेही पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम व पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अर्जुन देव हरिजन पुत्र जिऊत लाल हरिजन निवासी छित्तपुर हरिजन बस्ती थाना लंका वाराणसी बताया। तलाशी में उसके कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त अर्जुन देव हरिजन उपरोक्त को समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार कर, आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण

पकड़े गये व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि मैं संजय यादव निवासी चुप्पेपुर गिलट बाजार के गैंग का सक्रिय सदस्य हूँ। मैंने संजय यादव के दुश्मन मुकेश यादव निवासी चुप्पेपुर की हत्या करने के लिए 05 लाख रुपये की सुपारी ली है। मुकेश यादव की हत्या कराने के लिए संजय यादव व अशोक यादव ने मेरी व पंकज यादव की जमानत करायी है। संजय यादव के गैंग में अशोक यादव निवासी सीरगोवर्धन थाना लंका वाराणसी, रौबिन सिंह निवासी बलिया व पंकज यादव निवासी अहरौरा जिला मिर्जापुर शामिल है।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण* -**

- अर्जुन देव हरिजन पुत्र जिऊत लाल हरिजन निवासी छित्तपुर हरिजन बस्ती थाना लंका वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष।

***पंजीकृत अभियोग* -**

- मु0अ0सं0 0046/2021 धारा 386/387/504/506/120(बी) भादवि थाना शिवपुर वाराणसी
- मु0अ0सं0 0047/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना शिवपुर वाराणसी

बरादमगी का विवरण

- एक अदद नाजायज तमंचा बोर 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315

***आपराधिक इतिहास*-**

- मु0अ0सं0 0732/2017 धारा 147/387/506/120बी भादवि थाना लंका वाराणसी
- मु0अ0सं0 1532/2017 धारा 302 भादवि थाना लंका वाराणसी
- मु0अ0सं0 0051/2018 धारा 307 भादवि थाना लंका वाराणसी
- मु0अ0सं0 0053/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लंका वाराणसी
- मु0अ0सं0 0305/2018 धारा 3(1) गैग्रेस्टर अधिनियम थाना लंका वाराणसी
- मु0अ0सं0 0187/2020 धारा 323/392/504/395 भादवि थाना लंका वाराणसी
- मु0अ0सं0 0571/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लंका वाराणसी

***गिरफ्तारी/बरामदगी का स्थान* -**

- सेन्ट्रल जेल रोड चुप्पेपुर थाना शिवपुर वाराणसी दिनांक 31.01.2021 समय करीब 10.30 बजे।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण* -**

1. एसएचओ राजीव रंजन उपाध्याय थाना शिवपुर वाराणसी
2. उ0नि0 राम नरेश यादव थाना शिवपुर वाराणसी
3. का0 अखिलेश यादव थाना शिवपुर वाराणसी
4. कां0 करन यादव थाना शिवपुर वाराणसी
5. का0 रविकान्त सरोज थाना शिवपुर वाराणसी
6. का0 सतीश भारती थाना शिवपुर वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 31/01/ को 2021थाना दशाश्वमेघ के उ दिलेश कुमार 0नि0सरोज मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 27/01/ को रामापुरा चौराहे पर जो जेब काटकर चोरी 2021की गयी थी, उससे सम्बन्धित एक व्यक्ति गिरजाघर चौराहे से भेलूपुर जाने वाली रोड के किनारे चाय की दुकान पर खड़ा है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर थाना दशाश्वमेघ पुलिस द्वारा मुखबिर को साथ लेकर गिरजाघर चौराहे पर पहुँचकर, मुखबिर की निशानदेही पर समय 11. 10 बजे एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े हुए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अजय कुमार डोम पुत्र गोपाल डोम निवासी बेनिया बाग पानी की टंकी के बगल में, थाना चौक जनपद वाराणसी बताया। उक्त के संबंध में थाना दशाश्वमेघ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण:

पकड़ गये व्यक्ति ने पूछने पर बताया कि दिनांक 27/01/ को 2021मैंने अपने साथियों करन पुत्र स्व 0 दीपक, शिवा पुत्र हनुमान डोम, राहुल डोम पुत्र महेन्द्र डोम, भोला डोम पुत्र भेलू डोम व बाबा डोम पुत्र अज्ञात के साथ मिलकर गिरजाघर चौराहा पर एक व्यक्ति की जेब काटकर एक लाख रुपये चोरी कर लिये थे। आज पुनः मैं किसी और घटना को अन्जाम देने की फिराक में आया था व अपने साथियों का इंतजार कर रहा था कि आपलोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. अजय कुमार डोम पुत्र गोपाल डोम निवासी बेनिया बाग पानी की टंकी के बगल थाना चौक जनपद वाराणसी

बरामदगी का विवरण -

- 1700/- रुपये नगद

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

- उ, आनन्द कुमार मिश्रा 0का0हे, अखिलेश कुमार वर्मा 0नि0उ, दिलेश कुमार सरोज 0नि0 अतुल कुमार यादव 0का थाना दशाश्वमेघ जनपद वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-
policevaranasi

संख्या: पीआरओ 160/2021

दिनांक: जनवरी, 31/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 31.01.2021 को हाईवे पर ट्रक चालको द्वारा खतरनाक तरीके से ट्रको को आड़ा-तिरछा खड़ा करके जाम लगाने वालो के विरुद्ध कार्यवाही के अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रोहनिया प्रवीण कुमार के नेतृत्व में 30नि0 अजय यादव द्वारा मय हमराह मोहन सराय पुल के पास चेकिंग की जा रही थी। मोहनसराय पुल के पास बड़ी संख्या में ट्रक चालको द्वारा गलत तरीके से विपरीत लेन से ट्रक निकालने का प्रयास करते हुये रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे तीन चार घण्टे तक हाईवे पर भीषण जाम लग गया। उक्त सम्बन्ध में थाना रोहनिया में मु0अ0स0 0053/2021 धारा 341 भादवि पंजीकृत करते हुए, नियम विरुद्ध चलने वाले कुल 18 अदद ट्रकों को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। इसके अतिरिक्त 34 अन्य वाहनों का एमवी एक्ट के अन्तर्गत कुल 85,500/- रुपये का चालान भी किया गया है। उक्त के संबंध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार थाना रोहनिया वाराणसी, वरि.उ.नि. जमीलुद्दीन खॉं, 30नि0 अजय कुमार यादव, 30नि0 सत्येन्द्र प्रताप सिंह, 30नि0 मनोज कोरी, 30नि0 घनश्याम गुप्ता, 30नि0 ओम प्रकाश यादव, 30नि0 संजय कुमार सिंह, प्रशि0 30नि0 रवि मलिक, 30नि0 रामचन्द्र यादव, का0 विशाल कुमार, का0 अविनाश शर्मा, का0 मनीष कुमार थाना रोहनिया जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, इमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-
policevaranasi

संख्या: पीआरओ 161/2021

दिनांक: जनवरी, 31/2021

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *‘‘मिशन शक्ति’’* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 77 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 2607 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 300 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 69 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 631 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 04 के विरुद्ध 151 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही व 53 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।